अति आवश्यक

परिवहन विभाग
राजस्थान सरकार

क्रमांकः प.7(94)परि/नियम/गु./2020/6875 जयपुर, दिनांकः 24.04.2020

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
समस्त।

विषयः— BS-IV वाहनों के पंजीयन के सम्बध में।

संदर्भः— सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का पत्रांक कमांक RT.11036 /16 /2018-MVL दिनांक 20.04.2020।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका सिविल संख्या 13029/1985 में प्रस्तुत की गई अंतरिम आवेदन संख्या 45883/2020,45912/2010 तथा 48912/2020 में दिनांक 27.03.2020 को दिये गये आदेश के आलोक में 31.03.2020 तक विकित BS-IV वाहनों का पंजीयन 30.04.2020 तक किया जाना है। इसी सम्बध में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र कमांक RT.11036/16/2018-MVL दिनांक 20.04.2020 जारी किया है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि BS-IV वाहनों के लंबित पंजीयन प्रकरणों में पंजीयन को मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों द्वारा ही finalise किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अतः इस हेतू NIC द्वारा वाहन सॉफटवेयर में अब यह stipulation कर दिया है तथा डीलर्स के स्तर पर उक्त BS-IV मानक के वाहनों के पंजीयन से पूर्व सम्बधित पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी) द्वारा उनका system based approval किया जा सकता हैं।

अतः BS-IV मानक के 31.03.2020 तक विकित लेकिन पंजीयन नहीं हो सके वाहनों के पंजीयन के सम्बध में निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किये जाते है—

1. डीलर के स्तर पर जिन वाहनों का पंजीयन होता है अब BS IV मानक के वाहनों के लंबित पंजीयन प्रकरणों हेतु संबंधित डीलर द्वारा उनका डेटा 'वाहन 4.0' पर प्रेषित किया जाएगा जिनको संबंधित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अप्रूवल किया जाएगा। ऐसे वाहनों के सम्बंध में FADA द्वारा उच्चतम न्यायालय में सूची प्रस्तुत की गयी है जिसकी प्रति परिवहन कार्यालयों को ईमेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। जिला परिवहन अधिकारी स्तर पर डाटा मिलान कर नियमानुसार system based approval के पश्चात् इन वाहनों का पंजीयन किया जायेगा।
2. ऐसे गैर परिवहन वाहन जिन्हें डीलर्स द्वारा TRC जारी की गई है किन्तु लॉक डाउन के कारण तकनीकी निरीक्षण हेतू संम्बधित जिला परिवहन अधिकारी के समक्ष वाहन प्रस्तुत नही किया गया है। अब उन वाहनों का पंजीयन लॉकडाउन के दौरान पंजीयन अधिकारी द्वारा आवेदक से पंजीयन की समस्त शर्ते पूरी करने एवं वाहन के रोडवर्दी (Roadworthy) हो सकने का self declaration प्रस्तुत करने पर वाहन का पंजीयन किया जायेगा।
3. कम्पलीट बॉडी बिल्ट परिवहन वाहन जिनका लॉक डाउन के कारण तकनीकी निरीक्षण सम्बधित निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा सका है, अब उन वाहनों का पंजीयन भी पंजीयन अधिकारी द्वारा आवेदक से पंजीयन की समस्त शर्तें पूरी

करने एवं वाहन के पूर्णतया रोडवर्दी (Roadworthy) हो सकने का self declaration प्रस्तुत करने पर वाहन का पंजीयन किया जायेगा।

4. ऐसे परिवहन वाहन जिन्हे डीलर्स द्वारा TRC जारी की गई है एवं उनकी बॉडी निमार्ण पश्चात् भौतिक सत्यापन जिला परिवहन अधिकारी अपने स्तर पर संन्तुष्ट हो सकने वाली आसान प्रकिया से करने के पश्चात् पंजीयन की कार्यवाही संपादित करेंगे।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे सभी परिवहन एवं गैर परिवहन BS-IV मानक के वाहन, जिनका विक्रय 31.03.2020 से पूर्व हो चुका है, का पंजीयन भी नियमानुसार 30.04.2020 तक किया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित सभी श्रेणियों के 31.03.2020 तक विकित BS-IV मानक के वाहनों का पंजीयन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अक्षरक्षः पालना करते हुये 30.04.2020 तक किया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 30.04.2020 के पश्चात किसी भी BS-IV मानक के वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाये।

इस कार्य हेतु अप्रैल, 2020 के समस्त राजकीय अवकाश भी कार्यदिवस होंगे। उक्त आदेशों की पालना हेतु व्यापक प्रचार प्रसार सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा किया जावे।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

(रवि जैन)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं पालनार्थ

क्रमांकः प.7(94)परि/नियम/मु./2020/6876-86 जयपुर, दिनांकः 24.4.2020

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. समस्त जिला कलेक्टर
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
6. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण/कर्मचारीगण।
7. समस्त प्रादेशिक/अति प्रादेशिक/ज़िला परिवहन अधिकारी।
8. श्री श्रीपाल यादव तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी परिवहन मुख्यालय।
9. श्री रजनीश, जन सम्पर्क अधिकारी, को समाचार पत्रो में प्रकाशनार्थ।
10. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स , राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)